

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर हमीरगढ जिला-भीलवाडा

न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प हमीरगढ

पीठसीन अधिकारी:-रामावतार मीणा (आर0ए0एस0)

मुकदमा संख्या:- 98/18

1.-श्रीमति मंजुला पत्नि श्री रामकुआंर जी जाति चेचाणी निवासी 41 शास्त्रीनगर मेन सेक्टर भीलवाडा

---प्रार्थीगण

बनाम

- 1.- श्री रामेश्वर लाल पिता श्री शंकरलाल जी जाति पारीक ब्राह्मण निवासी हमीरगढ
- 2.- श्री घनश्याम पिता श्री शंकरलाल जी जाति पारीक ब्राह्मण निवासी हमीरगढ
- 3.- श्री ललित कुमार पिता श्री शंकरलाल जी जाति पारीक ब्राह्मण निवासी हमीरगढ
- 4.- श्री ओमप्रकाश पिता श्री शंकरलाल जी जाति पारीक ब्राह्मण निवासी हमीरगढ
- 5.- श्री सुभाष चन्द्र पिता श्री शंकरलाल जी जाति पारीक ब्राह्मण निवासी हमीरगढ
- 6.- श्री सुरेश चन्द्र पिता श्री मूलचन्द्र जी जाति पारीक ब्राह्मण निवासी हमीरगढ
- 7.- श्री बालमुकुन्द पिता श्री प्रभुदयाल जी जाति पारीक ब्राह्मण निवासी हमीरगढ
- 8.- श्री जगदीश चन्द्र पिता श्री मांगीलाल जी जाति व्यास पारीक ब्राह्मण निवासी हमीरगढ
- 9.-राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब भीलवाडा।

---विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम 1956

:: निर्णय ::

दिनांक:-31/05/2018

पत्रावली न्याय आपके द्वार 2018 राजस्व लोक अदालत कैम्प हमीरगढ पर पेश प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0भू0राज0 अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम हमीरगढ पटवार हल्का हमीरगढ तहसील हमीरगढ व जिला भीलवाडा में उसके खाते संयुक्त खातों की आराजी नम्बर 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1674, 1674/1 कुल किता 9 रकबा 11 बीघा 14 बिस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता हैं। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 31/05/2018 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा-फैरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिध्दान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।


:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम हमीरगढ की आराजी नम्बर 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1674, 1674/1 कुल किता 9 रकबा 11 बीघा 14 बिस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक हमीरगढ को 1200/-रु० (अक्षरे-बारह सौ रूपये) कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी में मौके पर कब्जे की यथारिथिति को बनाये रखते हुये मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। अगर फसल खड़ी हो तो पत्थरगढी नहीं की जावें।



उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ

प्रतिलिपि:- तहसीलदार, हमीरगढ को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें।



उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ